न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 07 / 2023	31.10.2023	25.11.2024

1– सरकार जर्ये उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (सा.) कार्यालय उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अलवर।

प्रार्थी

बनाम

2– नेकीराम चौधरी पुत्र श्रीचन्द जाट निवासी वार्ड न0 11 धनेरू तहसील डूंगरगढ जिला बिकानेर (राजस्थान)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (4) सहपठित उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश 1985 का उल्लधंन।

उपस्थितः–

1– विभागीय प्रतिनिधि — उपस्थित

2– अप्रार्थी — बावजुद सूचना अनुपस्थित

––:: निर्णय ::––

उर्वरक निरीक्षक एंव कृषि अधिकारी कार्यालय उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद की ओर से यह प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (4) सहपठित उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश 1985 का उल्लधंन पाये जाने पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है, कि दिनाक 02.08.2016 को तिजारा क्षेत्र में राजकीय भ्रमण के दोरान असलीमपुर चौक के पास तिजारा में एक दुकान में उर्वरक के कटटे लगे हुये दिखे, दुकान पर नेकीराम चौधरी पुत्र श्रीचन्द जाट निवासी वार्ड न0 11 धनेरू तहसील डूंगरगढ जिला बिकानेर (राजस्थान) मौजुद मिले। जिनको अपना परिचय देकर उनकी उपस्थिति में दुकान में उपलब्ध उर्वरक का निरीक्षण किया तो दुकान मे एक ही कम्पनी मै0 नवभारत फर्टिलाईजस लि0 द्वारा निर्मित जैव उर्वरक उपलब्ध था, दुकान का निरीक्षण कर वहा उपस्थित नेकीराम से उर्वरक लाईसेंस एवं स्टॉक रजिस्टर मांगा गया तो नेकीराम ने बताया कि वह कम्पनी का कर्मचारी है, और कृषको को बेचने के लिए अभी उतरवा कर दुकान में रखा है। उर्वरक बेचने का कोई उर्वरक लाईसेंस नही है, और न ही कोई स्टॉक रजिस्टर है। वहा उपस्थित नेकीराम को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानो के तहत उर्वरक नमूना लेने हेतु विधिवत नोटिस (प्रपत्र–6) दिया गया। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये प्रतिष्ठान पर उपलब्ध उर्वरक सिटी कम्पोस्ट (स्टॉक 40 किलोग्राम पैकिग के 226 बैग) एवं पी.एस.बी. तरल जैव उर्वरक (स्टॉक आधा लीटर पैकिग के 11 बोतल) दोनो स्टॉक से एक–एक नमूना नियमानुसार लिये गये। मौके पर प्रपत्र– जे व मौका पर्चा तैयार कर एक–एक प्रति नेकीराम को दी गयी। प्रावधान के अनुसार तीन–तीन सील्ड नमूनो में से एक नमूना उसी समय नेकीराम को दिये गये तथा बाकी दो–दो नमूने (एक–एक नमूना विश्लेषण हेतु) रखे गये। नमूना लेने के बाद उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 28 (1) (डी) के तहत सीजर नोटिस देकर उपलब्ध स्टॉक को जब्त किया गया। जब्त किये गये उर्वरक को सुरक्षा की द्वष्टि से क्रय विक्रय सहकारी समिति (के.वी.एस.एस.) किशनगढबास को सुपुर्दगी में दिया गया। नेकीराम द्वारा उर्वरक अनुज्ञापत्र के उर्वरक का विक्रय / विक्रय के लिए प्रर्दशन करने पर नेकीराम के विरूद्व उर्वरक (नियत्रण) आदेश 1985 के खण्ड–7 के

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

उल्लंघन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना तिजारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। जिसकी एफ.आई.आर. संख्या 474/2016 दिनाक 02.08.2016 है। उक्त प्रकरण में उर्वरको का आहरित किये गये नमूने राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा की विश्लेषण रिपोर्ट द्वारा नमूने मानक घोषित किये गये है। नेकीराम पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी वार्ड न0 11 धनेरू तहसील डूंगरगढ जिला बीकानेर (राज0) ने बिना उर्वरक लाईसेंस प्राप्त किये उर्वरक का विक्रय/विक्रय के लिए प्रदर्शन करते पाया गया जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड–7 का उल्लघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रकरण में जब्त किया गया उर्वरक आवश्यक वस्तु अधिनियम की श्रेणी में आने के कारण उक्त प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत पेश कर निवेदन है, कि जब्त शुदा उर्वरक प्रयोगशाला से मानक घोषित हुआ है, जो कृषि उपयोग योग्य है, को राजसात किया जाकर निस्तारण किया जावे।

गैरसायल को न्यायालय के नोटिस कंमाक कमशः 88/02.05.2023, 841/05.04.2024, 1197/20.05.2024,1616/30.07.2024 व 3064/28.10.2024 के द्वारा तलब किया गया लेकिन गैरसायल आदिनाक तक बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुआ।

विभागीय प्रतिनिधी उपस्थित। बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि दिनाक 02.08.2016 को असलीमपुर चौक के पास तिजारा में एक दुकान में उर्वरक के कटटे लगे हुये दिखे दुकान पर नेकीराम चौधरी पुत्र श्रीचन्द जाट निवासी वार्ड न0 11 धनेरू तहसील डूंगरगढ जिला बिकानेर (राजस्थान) मौजुद मिले। दुकान में उपलब्ध उर्वरक का निरीक्षण किया तो दुकान मे एक ही कम्पनी मै0 नवभारत फर्टिलाईजस लि0 द्वारा निर्मित जैव उर्वरक उपलब्ध था, नेकीराम से उर्वरक लाईसेंस एवं स्टॉक रजिस्टर मांगा गया तो नेकीराम ने बताया कि वह कम्पनी का कर्मचारी है, और कृषको को बेचने के लिए अभी उतरवा कर दुकान में रखा है। उर्वरक बेचने का कोई उर्वरक लाईसेंस नही है, और न ही कोई स्टॉक रजिस्टर है। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानो के तहत उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये प्रतिष्ठान पर उपलब्ध उर्वरक सिटी कम्पोस्ट (स्टॉक 40 किलोग्राम पैकिग के 226 बैग) एवं पी.एस.बी. तरल जैव उर्वरक (स्टॉक आधा लीटर पैकिग के 11 बोतल) दोनो स्टॉक से एक–एक नमूना नियमानुसार लिये गये। मौके पर प्रपत्र– जे व मौका पर्चा तैयार कर एक–एक प्रति नेकीराम को दी गयी। नमूना लेने के बाद उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 28 (1) (डी) के तहत सीजर नोटिस देकर उपलब्ध स्टॉक को जब्त किया गया। जब्त किये गये उर्वरक को सुरक्षा की द्वष्टि से कय विकय सहकारी समिति (के.वी.एस.एस.) किशनगढबास को सुपुर्दगी में दिया गया। नेकीराम द्वारा उर्वरक अनुज्ञापत्र के उर्वरक का विकय/विकय के लिए प्रर्दशन करने पर नेकीराम के विरूद्व उर्वरक (नियत्रण) आदेश 1985 के खण्ड–7 के उल्लंघन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना तिजारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। जिसकी एफ.आई.आर. संख्या 474/2016 दिनाक 02.08.2016 है। उक्त प्रकरण में उर्वरको का आहरित किये गये नमूने राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा की विश्लेषण रिपोर्ट द्वारा नमूने मानक घोषित किये गये है। नेकीराम पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी वार्ड न0 11 धनेरू तहसील डूंगरगढ जिला बीकानेर (राज0) ने बिना उर्वरक लाईसेंस प्राप्त किये उर्वरक का विकय/विकय के लिए प्रदर्शन करते पाया गया जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड–7 का उल्लघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। यहा यह भी उल्लेखनीय है, कि वर्तमान में जब्त शुदा सामग्री/उर्वरक कृषक के उपयोग लायक नही है, क्योकि उसकी अवधिपार तिथि निकल चुकी है, जब्त उर्वरक को (dump) कराने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विभागीय प्रतिनिधि की बहस का मनन किया। उक्त प्रकरण में उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (सा.) कार्यालय उपनिदेशक कृषि

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

(विस्तार) जिला परिषद अलवर के द्वारा उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 खण्ड 28 (1) (डी) के तहत सीजर नोटिस देकर उपलब्ध स्टॉक को जब्त किया गया। जब्त किये गये उर्वरक को सुरक्षा की द्वष्टि से कय विकय सहकारी समिति (के.वी.एस.एस.) किशनगढबास को सुपुर्दगी में दिया गया। नेकीराम द्वारा उर्वरक अनुज्ञापत्र के उर्वरक का विकय/विकय के लिए प्रर्दशन करने पर नेकीराम के विरूद्व उर्वरक (नियत्रण) आदेश 1985 के खण्ड–7 के उल्लंघन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना तिजारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। जिसकी एफ.आई.आर. संख्या 474/2016 दिनाक 02.08. 2016 है। नेकीराम पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी वार्ड न0 11 धनेरू तहसील डूंगरगढ जिला बीकानेर (राज0) ने बिना उर्वरक लाईसेंस प्राप्त किये उर्वरक का विकय/विकय के लिए प्रदर्शन करते पाया गया जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड–7 का उल्लघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। यहा यह भी उल्लेखनीय है, कि वर्तमान में जब्त शुदा सामग्री/उर्वरक कृषक के उपयोग लायक नही है, क्योकि उसकी अवधिपार तिथि निकल चुकी है, उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (सा.) कार्यालय उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अलवर द्वारा उक्त प्रकरण में की गयी कार्यवाही न्यायोचित है। वर्तमान में जप्त किया गया उर्वरक खराब हो चुका है, ऐसी स्थिति में उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (सा.) कार्यालय उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अलवर द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) स्वीकार किया जाकर जब्त उर्वरक को नष्ट किये जाने के आदेश दिये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (सा.) कार्यालय उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अलवर द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है, प्रकरण में जब्तशुदा उर्वरक उर्वरक सिटी कम्पोस्ट (स्टॉक 40 किलोग्राम पैकिग के 226 बैग) एवं पी. एस.बी. तरल जैव उर्वरक (स्टॉक आधा लीटर पैकिग के 11 बोतल) को दिनाक 01.11.2023 को कय विकय सहकारी समिति (के.वी.एस.एस.) किशनगढबास की सुपुर्दगी में दिये गये है, से वापिस नियमानुसार प्राप्त कर निर्णय अनुसार/नियमानुसार नष्ट कराया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करे। एवं की गयी कार्यवाही से न्यायालय को अवगत करावे। निर्णय प्रमाणित प्रति उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (सा.) कार्यालय उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अलवर को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलेक्टर एवं जिला
मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा (राज0)

जिला कलेक्टर
खैरथल–तिजारा